

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ०प्र०, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2020

विषय:- राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन के सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया/दिशा-निर्देश एवं समय-सारिणी।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रत्येक जनपद से एक योग्य अध्यापक/अध्यापिका को राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित चयन प्रक्रिया/दिशा-निर्देश एवं समय- सारिणी पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

1. राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 के मध्य स्वीकार किये जायेंगे। इस अवधि के मध्य राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु सभी जनपदों के अध्यापक/अध्यापिका द्वारा अपना प्रार्थना पत्र आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ को उनके द्वारा इस हेतु निर्धारित वेब पोर्टल/वेबसाइट पर सीधे प्रेषित किया जायेगा। शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा, जिसमें प्रकरण से सम्बन्धित समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं, दिशा-निर्देशों तथा समय-सारिणी इत्यादि का उल्लेख होगा।

2. प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किये जाने हेतु जनपद अथवा मण्डल स्तर पर किसी समिति का गठन नहीं किया जायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में 'राज्य चयन समिति' का गठन किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् है:-

- | | |
|--|--------------|
| (क) सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन। | - अध्यक्ष |
| (ख) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०। | - सदस्य |
| (ग) शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ | - सदस्य सचिव |
| (घ) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ। | - सदस्य |
| (ङ) संयुक्त शिक्षा निदेशक, शिविर कार्यालय, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ (श्री गणेश कुमार)। | - सदस्य |
| (च) सम्बन्धित मण्डल के यथास्थिति सहायक/संयुक्त/अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा। | - सदस्य |
| (छ) शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश स्तर का एक विशेषज्ञ। | - सदस्य |

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्तानुसार गठित "राज्य चयन समिति" द्वारा 15 जुलाई, 2020 से 14 अगस्त, 2020 के मध्य शिक्षकों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण (Presentation) एवं साक्षात्कार इत्यादि के माध्यम से विचार करते हुए प्रत्येक जनपद से एक अध्यापक/अध्यापिका को राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु अपनी संस्तुति शासन को संदर्भित की जायेगी। "राज्य चयन समिति" द्वारा इस सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण के परीक्षण एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए मण्डलवार विचार किया जायेगा, जिसके दृष्टिगत सम्बन्धित मण्डल के सहायक/संयुक्त/अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा को उक्तानुसार प्रस्तावित "राज्य चयन समिति" में शामिल किया जायेगा।

3- राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन के संबंध में उक्त चयन प्रक्रिया/दिशा-निर्देश एवं समय-सारिणी का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
7. सचिव, बेसिक शिक्षा बेसिक परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज।
8. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०।
9. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उ०प्र०।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
11. समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०।
12. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी(स्वतंत्र प्रभार), उ०प्र० शासन।
13. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
14. निजी सचिव, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा ,उ०प्र० शासन।
15. बेसिक शिक्षा अनुभाग-1, 2, 3, व 5
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।